प्रपत्र- 1

परियोजना का नाम	:–	जनपद देहरादून के रायपुर विकास खण्ड में प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्तृधारा (कार्लिगाड) – नालीवाला मोटर मार्ग (लम्बाई 11.425 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजागार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एंव स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आवादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया गया हैं। उक्त के क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या : 1760/पी3–14/यू0आर0आर0डी0ए0/09 दिनाक 17/12/2009 उत्तराखंड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया हैं। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट नालीवाला (Total Pop-398) की आवादी अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित् विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते है। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपल्वध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेंणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के संरेखण में नाप भूमि **1.089** है0, सिविल सोयम भूमि **0.567**है0 एवं वन पंचायत भूमि **0.000** है0, प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, एवं आरक्षित वनभूमि **8.627** है, जिसका भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है। तथा यह भी उल्लेखनीय है। भूमी अधिग्रहण **9** मीटर चौड़ाई मे की गई है।

ASSTT. ENGR.

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु **2** संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है।

संरेखण नं0 1 :– के अनुसार यह मोटर मार्ग जनपद देहरादून में विकासखण्ड रायपुर. के अन्तर्गत सहस्तृधारा – सेरा मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से प्रारम्भ होता है। इस संरेखण में 16 हेयर पिन बैण्ड प्रस्तावित हैं। इस संरेखण में अधिकतर आरक्षित वनभूमि तथा नाप भूमि के अतिरिक्तं एव बीच– बीच में सिविल सोयम भूमि आती है, इस संरेखण में मोटर मार्ग निर्माण करने में वृक्ष प्रभावित कमं होते है तकनिकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है एवं अधिक से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। इसके अनुसार मोटर मार्ग की लम्बाई भी कम आती है। इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में गांमवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत है।

संरेखण नं0 2 :– यह संरेखन पूर्व निर्मित सहस्त्रधारा–कार्लिगाड–सरोना मोटर मार्ग के कि0मी0 5.00 से प्रारम्भ होकर नालीवाला तक जायेगा इसमें 12 हेयरपिन बैण्ड प्रस्तावित है । इस संरेखन में मार्ग की लम्बाई 12.500 किमी0 आयेगी। मार्ग का निर्माण इसी संरेखन पर प्रस्तावित था, लेकिन समरेखण की अधिकांश ल0 वन भूमि से होने एंव पातन किये जाने वाले वृक्षो की संख्या भी अधिक होने के कारण पर्यावर्णिय दृष्टी से इस संरेखन पर मार्ग निर्माण करना उचित नही है एंव संरेखन पर कुछ भाग पूर्व मे हुई अतीवृष्टी के कारण लेण्ड स्लाईड जोन से भी होकर गुजरता है इस संरेखन पर 12 हेयरपिन बैण्ड पडने के साथ–साथ ग्रेड भी 1:18 से 1:22 के बीच रखना पड़ेगा। अतः इस संरेखन पर मार्ग निर्माण किया जाना उचित नही है। इसे इडेक्स मैप में हरे रंग से दर्शाया गया है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए संरेखण **नं0 1** को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों का संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण **नं01** को मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी, पर्यावरणीय एंव भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः **11.425** कि0मी0 लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार **9** मीटर चौड़ाई में आने वाली सिविल सोयम भूमि एव आरक्षित वनभूमि **9.194** है0 प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

कनिष्ट अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई देहरादून

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई देहरादून

सहायक अभियन्ता तृतीय
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
6, इन्दिरा नगर, देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई
सिंचाई खण्ड, देहरादून।

C/S

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी